बिहार सरकार
गन्ना उद्योग विभाग

पत्रांक–02/रेगु०–2–700–05/2026– 1983/ 20810 /पटना, दिनांक– 27 अक्टूबर, 2026

आदेश

वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य योजना अंतर्गत **"सकरी एवं रैयाम चीनी मिल क्षेत्र में विशेष गन्ना क्षेत्र विकास अभियान"** की स्वीकृति विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–300 स्वी०/सी०सी० दिनांक–13.08.2026 द्वारा दी गयी है।

2. विभागीय पत्रांक–1875/ई० का० दिनांक–06.10.2026 द्वारा वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य योजना अंतर्गत **"गन्ना प्रौद्योगिकी विस्तार कार्यक्रम"** के कार्यान्वयन हेतु विस्तृत मार्गदर्शिका का प्रेषण किया गया है।

3. **"सकरी एवं रैयाम चीनी मिल क्षेत्र में विशेष गन्ना क्षेत्र विकास अभियान"** का कार्यान्वयन हेतु निम्नवत् अनुदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4. **अवयवार अनुदेश –**

4.1 कृषक प्रशिक्षण –

(i) सकरी एवं रैयाम चीनी मिल क्षेत्र में ग्राम/प्रखण्ड/पंचायत स्तर पर प्रत्येक प्रशिक्षण में 40–50 गन्ना कृषकों को प्रशिक्षित किया जायेगा।

(ii) प्रत्येक कृषक प्रशिक्षण के आयोजन हेतु 15,000 रू0/प्रशिक्षण की दर से राशि प्रावधानित है।

(iii) इस योजना के तहत कुल 1200 कृषक प्रशिक्षण/ कार्यशाला/ सेमिनार/ कृषक–वैज्ञानिक संवाद का आयोजन किया जायेगा। आवश्यकतानुसार अधिकतम 05 कृषक प्रशिक्षण का आयोजन एक साथ कराया जा सकता है।

(iv) कृषक प्रशिक्षण का आयोजन सहायक निदेशक, ईख विकास, दरभंगा के द्वारा कराया जायेगा।

(v) एक कृषक की गणना एक ही प्रशिक्षण कार्यक्रम में की जाएगी, पुनरावृति मान्य नहीं होगी।

(vi) कृषक प्रशिक्षण के आयोजन हेतु स्थल (सामुदायिक भवन/पंचायत भवन/ई–किसान भवन/सरकारी विद्यालय/अन्य सार्वजनिक स्थान) का चयन संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास के द्वारा किया जायेगा।

(vii) प्रशिक्षण स्थल पर बैनर/फलैक्स तथा विभागीय योजना संबंधी पोस्टर का प्रदर्शन अनिवार्य होगा।

(viii) कृषक प्रशिक्षण एकदिवसीय होगा। ईख अनुसंधान संस्थान, पूसा, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ, कृषि विज्ञान केन्द्र, कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञनिकों, सेवानिवृत वैज्ञानिकों द्वारा किसानों को प्रशिक्षित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रगतिशील गन्ना कृषक जिन्होनें इस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है उन्हें भी

प्रशिक्षक के रूप में शामिल किया जायेगा। राज्य सरकार की योजनाओं के संबंध में भी किसानों को प्रशिक्षित किया जायेगा।

(ix) प्रशिक्षण में भाग लेने वाले किसानों की उपस्थिति संलग्न **प्रपत्र–1** में संधारित किया जायेगा।

(x) कृषक प्रशिक्षण हेतु उपयोग में लाने जाने वाले सामग्रियों का क्रय बिहार वित्तीय नियमावली के अनुरूप किया जाएगा।

(xi) 40 कृषक प्रशिक्षण पर अनुमानित व्यय का विवरण विभागीय पत्रांक– 1713/ई.का. दिनांक–15.09.2026 के अनुरूप होगा।

(xii) प्रत्येक कृषक प्रशिक्षण का विडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी कराना तथा इसकी एक प्रति मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाएगा।

4.2 नुक्कड़ नाटक का आयोजन –

(i) गन्ना क्षेत्र के विस्तार एवं किसानों में जागरूकता हेतु स्थानीय भाषा एवं सांस्कृतिक माध्यमों से नुक्कड़ नाटकों के आयोजन हेतु राशि का प्रावधान किया गया है।

(ii) नुक्कड़ नाटक का आयोजन सहायक निदेशक, ईख विकास, दरभंगा के स्तर से कराया जायेगा। इस कार्य हेतु मुख्यालय द्वारा सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग से सूचीबद्ध एजेन्सी को चयनित कर संसूचित किया जायेगा, जिस आधार पर उनके माध्यम से निर्धारित दर के अधीन सेवा ली जाएगी।

(iii) नुक्कड़ नाटक का आयोजन ग्राम/पंचायत स्तर पर किया जायेगा। नुक्कड़ नाटक के आयोजन हेतु स्थल का चयन संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास के द्वारा चीनी मिल/ईख पदाधिकारी के सहयोग से किया जा सकेगा। प्रत्येक नुक्कड़ नाटक में 06 सदस्यों की टोली द्वारा नाटक को प्रस्तुत किया जायेगा।

(iv) नुक्कड़ नाटक हेतु कर्णांकित राशि के अंतर्गत ही व्यय किया जाएगा तथा चयनित एजेन्सी को राशि का भुगतान CFMS के माध्यम से किया जायेगा।

4.3 गन्ना तकनीकी प्रचार–प्रसार वाहन –

(i) राज्य के गन्ना कृषकों के मध्य जागरूकता बढ़ाने, विभागीय योजनाओं तथा गन्ना खेती की उन्नत तकनीकों के प्रभावी प्रसार के उद्देश्य से LED युक्त "गन्ना तकनीकी प्रचार–प्रसार वाहन" के संचालन हेतु राशि का प्रावधान किया गया है।

(ii) प्रचार–प्रसार वाहन का संचालन संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास के स्तर से कराया जायेगा। इस कार्य हेतु गन्ना उद्योग विभाग के द्वारा सूचीबद्ध एजेन्सी एवं दर पर सेवा ली जाएगी। सूचीबद्ध एजेन्सी को कार्यालयवार वाहन परिचालन हेतु कार्यादेश मुख्यालय स्तर पर दिया जायेगा तथा उस आधार पर कार्योपरांत संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास द्वारा राशि का भुगतान किया जायेगा।

(iii) प्रचार वाहन का परिचालन मुख्यालय द्वारा निर्धारित अवधि एवं व्यवस्था/कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न गन्ना क्षेत्रों में किया जाएगा।

(iv) संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास द्वारा प्रत्येक प्रचार वाहन के लिए निर्धारित अवधि के आलोक में दिवसवार रूट चार्ट तैयार कर संबंधित एजेन्सी एवं मुख्यालय को संचालन से पूर्व उपलब्ध कराया जायेगा।

(v) प्रचार वाहन में विभाग एवं चीनी मिल के कर्मी उपस्थित रहेगें जो प्रचार स्थल पर किसानों को प्रकाशन सामग्री का वितरण करेगें तथा उनसे वार्ता कर गन्ना खेती के लाभ की जानकारी देते हुए उन्हें इसकी खेती के लिए प्रोत्साहित करेगें।

(vi) प्रचार वाहन हेतु संबंधित एजेन्सी को राशि का भुगतान CFMS के माध्यम से किया जायेगा।

(अनिल कुमार झा)
ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–02/रेगु०–2–700–05/2026– 1983/ईखा०वि० /पटना, दिनांक– 22 अक्टूबर, 2026

प्रतिलिपि–महालेखाकार, बिहार/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/सहायक निदेशक, ईख विकास, दरभंगा/ईख पदाधिकारी, लहेरियासराय, दरभंगा/कोषागार पदाधिकारी, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–02/रेगु०–2–700–05/2026– 1983/ईखा०वि० /पटना, दिनांक– 22 अक्टूबर, 2026

प्रतिलिपि– वित्त विभाग (बजट शाखा)/उप निदेशक, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/संयुक्त सचिव, गन्ना उद्योग विभाग/विशेष कार्य पदाधिकारी, गन्ना उद्योग विभाग/उप सचिव, गन्ना उद्योग विभाग/अवर सचिव, गन्ना उद्योग विभाग/संयुक्त निदेशक, ईख विकास, बिहार, पटना/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना/सहायक निदेशक, ईख विकास, दरभंगा/बजट शाखा, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. आई०टी० मैनेजर, गन्ना उद्योग विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–02/रेगु०–2–700–05/2026– 1983/ईखा०वि० /पटना, दिनांक– 22 अक्टूबर, 2026

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार के आप्त सचिव/सचिव, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार के प्रधान आप्त सचिव/ईखायुक्त, बिहार के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।

प्रपत्र–01

कृषक प्रशिक्षण – उपस्थिति पंजी

प्रशिक्षण स्थल :– ..... दिनांक :– ..... समय :–.....

जिला :– ..... प्रखंड :– ..... पंचायत/ग्राम :– .....

क्र0सं0	कृषक का नाम	पिता/पति का नाम	ग्राम/पंचायत	मोबाईल नं0	गन्ना आई0 डी0	हस्ताक्षर

पदाधिकारी का नाम एवं हस्ताक्षर

Scanned with OKEN Scanner